**प्र.सं. 14/20 रणसिंह बनाम मुकेश**

| तारीख हुक्म | हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 14.09.2021 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काकनवानी में आराजी नंबर 235/130 रकबा 1.25 स्थित है, जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर वादी काबिज है। उक्त भूमि वादी की माता लखु के नाम दर्ज है, किन्तु उनका स्वर्गवास हो चुका है। उक्त आराजी के 0.25 एकड़ रकबे पर प्रतिवादी ने जबरन अतिक्रमण कर खेत के पश्चिम दक्षिण कोने पर 80 X 80 नाम पर जबरन कब्जा कर लिया है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड से वादी की माता का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर अतिक्रमित भूमि का कब्जा वादी को पुनः दिलाया जावे।<br><br>अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 03.06.2016 से प्रतिवादी का अनाधिकृत कब्जा हटाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 29.10.2020 को प्रस्तुत की गयी है।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री पंकज कोठारी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।<br><br>अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हे अन्य प्रकरण के नोटिस प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रथम बार दिनांक 14.10.2020 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील मयाद में कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।<br><br>हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।<br><br>दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि लोक अदालत में | |

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:19 IST
Reason: SelfAttested

सहमति नहीं बनने पर प्रकरण में दिनांक 14.05.2016 को पेशी नियत की गयी, लेकिन उक्त दिनांक को उपखण्ड अधिकारी जी व्यस्त होन से पेशी आगे नहीं दी गयी एवं अपीलान्ट को बिना सूचना दिये प्रकरण दिनांक 03.06.2016 को राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार निर्णय किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकानुसार दिनांक 14.05.2016 को लोक अदालत में पक्षकारों में सहमति नहीं बनी। इसके बाद पत्रावली प्रतिवादी की जिरह में चली गयी एवं दिनांक 29.03.2016 को पेशी दिनांक 24.05.2016 के लिऐ नियत की गयी, किन्तु इसके स्थान पर अपीलान्ट को बिना सूचना दिये प्रकरण दिनांक 03.06.2016 को राजस्व कैम्प में रखकर प्रतिवादी/अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर डिक्री जारी कर दी जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्र.सं. 48/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.11.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. S Chouhan
Date: 2021.10.25 11:55:19 IST
Reason: SelfAttested

(एम. एस. चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर